रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 393] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 1970/कार्तिक 8, 1892

No. 393] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 1970/KARTIKA 8, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October 1970

S.O. 3551.—In exercise of the powers conferred by Sub-clause (b) of clause 2 of the Newsprint Control Order, 1962, No. CH(1)-18(1)62 dated the 17th January, 1962, the Government of India are hereby pleased to appoint Shri K. S. Thakur, Registration Supervisor, Office of the Registrar of Newspapers for India, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, to exercise the powers of the Controller under that order, with immediate effect.

2. The earlier Notification No. S.O. 2008 dated the 6th June, 1970 of the late Ministry of Commerce relating to the appointment of Shri P. K. Sinha, Section Officer, exercising the power of Controller under the said Order is hereby cancelled with effect from 5th July, 1970.

[No. 12/30/70-I&EC.]

P. K. SAMAL Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1970

एस० ओ० 3551.—अखबारी कागज नियन्त्रण आदेश, 1962, सं० सी० एच० (1)–18 (1)/62 दिनांक 17 जनवरी, 1962 की धारा 2 की उप-धारा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीयन पर्यवेक्षक श्री के० एस० ठाकुर को इसी समय से उक्त आदेश के अन्तर्गत नियन्त्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सहर्ष नियुक्त करती है ।

2. भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की 6 जून, 1970 की विगत अधिसूचना सं० का० आ० 2008 को, जो उक्त आदेश के अन्तर्गत नियन्त्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुभाग अधिकारी श्री पी० के० सिन्हा की नियुक्ति से सम्बन्धित है, 5 जुलाई 1970 से एतदद्वारा रद्द किया जाता है ।

[सं० 12/30/70-आई तथा ई० सी०]

पी० के० समाल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970